राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
वाद संख्या–26/2025
अशोक कुमार बनाम् सरयुग मोची।

यह वाद श्री अशोक कुमार, पिता–श्री राम नरेश यादव, पता–ग्राम–मोहनी पोखर, पोस्ट–अमरपुरा, थाना–नौबतपुर, जिला–पटना द्वारा श्री सरयुग मोची, पिता–स्व0 गनौरी मोची, पता–आरोपुर, पोस्ट–अमरपुरा, थाना–नौबतपुर, जिला–पटना (वर्तमान मुख्य पार्षद, नगर पंचायत नौबतपुर) के विरुद्व बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान के होने के आधार पर मुख्य पार्षद, नगर पंचायत नौबतपुर, पटना के पद से पदमुक्त करने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी श्री अशोक कुमार का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री अवनीश कुमार एवं श्री एस0बी0के0 मंगलम द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी श्री सरयुग मोची की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री आयुष कुमार एवं श्री सर्वदेव सिंह द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा श्रीमती पूजा कुमारी, वरीय उप समाहर्त्ता–सह– प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा, पटना को प्राधिकृत किया गया।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी श्री सरयुग मोची को दिनांक–04.04.2008 के उपरांत 02(दो) से अधिक जीवित संतान के कारण आयोग द्वारा वाद संख्या–12/2020, उषा कौशिक बनाम् सरयुग मोची, विजय पासवान एवं पूनम देवी मामले में निरर्हित किया जा चुका है। आयोग के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रतिवादी को C.W.J.C. No. 4175/2022, सरयुग मोची बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा राहत प्रदान की गयी तथा आयोग के आदेश को रद्द कर दिया गया, परन्तु उक्त निर्णय के विरूद्ध S.L.P.No. 10563-10565/2022, में माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय के न्याय–निर्णय पर Absolute Stay प्रदान किया गया है।

अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा माननीय उच्चतम् न्यायालय के आदेश के प्रभावी अंश का वाचन किया गया, जो निम्नवत् हैः–

"In the meantime, the operation of the impugned judgment is stayed but the elected persons will continue to participate as members of the panchayat." (आदेश दिनांक–13.07.2022)।

आगे उनके द्वारा दिनांक–01.09.2022 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के प्रभावकारी अंश का वाचन किया गया, जो निम्नलिखित हैः–

"Interim order is made absolute during the pendency of the appeals."

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी को माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा केवल अन्तरिम राहत के तहत उक्त S.L.P.No. 10563-10565/2022, में सुनवाई जारी रहने

तक उक्त पद पर बने रहने की अनुमति प्रदान की गई थी, परन्तु प्रतिवादी का वह कार्यकाल समाप्त हो चुका है तथा चूंकि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश पर माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गयी है। अतः वाद संख्या–12/2020, में आयोग द्वारा पारित आदेश स्वतः प्रभावी हो गया है। आगे उनके द्वारा यह भी बताया गया कि प्रतिवादी को कुल पाँच संतान है, इस संबंध में कोई Dispute नहीं है, जिसमें दो संतान Cut of date-04.04.2008 के उपरांत पैदा हुये हैं।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि अब चूँकि माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No. 4175/2022, में दिनांक–09.05.2022 को दिये गये न्याय–निर्णय पर Stay प्रदान कर दिया गया है, अतः प्रतिवादी की योग्यता/अयोग्यता का निर्धारण आयोग द्वारा वाद संख्या–12/2020, में पारित आदेश के अनुसार ही किया जाना चाहिये, किसी अन्य तरीके से नहीं।

आगे उनके द्वारा दावा किया गया कि प्रतिवादी श्री सरयुग मोची के संतानों के संबंध में तथा वाद संख्या–12/2020 में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के गुण–दोषों की विवेचना करते हुए, आयोग द्वारा विस्तृत आदेश पारित किया जा चुका है। अतः वर्तमान वाद में मुद्दा यह नहीं है कि आयोग को नए साक्ष्य या तथ्यों पर विचार करना है। **विचार योग्य तथ्य यह है कि आयोग अपने पूर्व के निर्णय को स्वयं बदल नहीं सकता, क्योंकि आयोग में न्यायिक पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की शक्ति निहित नहीं है। अतः आयोग का पूर्व निर्णय आयोग पर बाध्यकारी है।**

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी, वाद को जान–बुझकर लंबे समय तक चलाने हेतु समय की याचना करते है, या आयोग पर दबाव डालने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, पटना में, आयोग में विचाराधीन वाद की कार्रवाई को रोकने हेतु **'रिट'** दायर कर देते है, जबकि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा इनके **'रिट'** पर विचार करने से इन्कार कर दिया गया तथा इन्हें अपना **'रिट'** वापस लेना पड़ा। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में, आयोग में विचाराधीन वाद की कार्रवाई को रोकने हेतु, प्रतिवादी द्वारा वही तर्क रखे गये थे, जो उनके द्वारा अबतक आयोग के समक्ष रखे गये है, इसके बावजूद माननीय न्यायालय द्वारा चल रहे न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया गया।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उन्होने अपने वाद–पत्र के कंडिका–19 एवं कंडिका–20 में उन तथ्यों को भी प्रकाशित किया है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि श्री सरयुग मोची द्वारा अपनी पुत्री के जन्मतिथि में दिनांक–20.03.2020 को सुधार कराया है। प्रतिवादी द्वारा इसका कोई जवाब नहीं दिया गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिया गया तथ्य वह स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार उनके द्वारा पारा–21 में स्वाती कुमारी के जन्मतिथि में किए गए परिवर्तन पर विशेष तथ्य एवं साक्ष्य दिये गये, जिसका खण्डन भी प्रतिवादी द्वारा नहीं किया गया है। स्वाती कुमारी की जन्मतिथि–05.03.2010 है, जिसे बाद में जन्मतिथि–15.03.2008 करा दिया गया है।

उक्त तथ्यों के आधार वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी को बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007(यथासंशोधित) की धारा–18(1)(m) के तहत अर्जित अयोग्यता के आलोक में पदमुक्त करने का अनुरोध किया गया।

4. प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आयुष कुमार द्वारा पूर्व निर्धारित विस्तृत सुनवाई की तिथि को पुनः समय की याचना की गई, परन्तु आयोग द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि इस वाद में तथ्यात्मक पहलुओं के स्थान पर तकनीकी कारणों पर विचार किया जाना है, इसके साथ ही साथ प्रतिवादी के अनुरोध पर उन्हें पूर्व में ही पर्याप्त समय प्रदान किया जा चुका है।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके द्वारा नौबतपुर नगर पंचायत के गठन की तिथि को ज्ञात करने हेतु वाद संख्या–16/2010 का सत्यापित नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया गया है। नकल प्राप्त करने के उपरांत ही वाद पर सही प्रकाश डाला जा सकता है, क्योंकि वाद संख्या–12/2020 का निर्णय आयोग द्वारा जिस आधार पर किया गया था, वह ग्राम पंचायत निसारपुरा के समाप्ति एवं नगर पंचायत नौबतपुर के अस्तित्व में आने पर आधारित है। आयोग द्वारा ग्राम पंचायत निसारपुरा द्वारा निर्गत स्वाती कुमारी के जन्म प्रमाण–पत्र का वैध नहीं माना है। अतः यह आवश्यक है कि प्रमाण–पत्र की वैधता पर विचार किया जाए।

आगे प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी द्वारा सम्पूर्ण निर्वाचन को अवैध बताया गया है, तो वास्तव में बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 (यथासंशोधित) की धारा–476 के आलोक में चुनाव याचिका एक मात्र Legal Remedy है।

आगे उनके द्वारा पुनः यह दावा किया गया कि मामला माननीय उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली में Sub-Judice है, जिसके कारण विचाराधीन मामले को Judicial Discipline का अनुपालन करते हुए, आयोग को इस पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए।

आगे उनके द्वारा एक बार फिर दावा किया गया कि समरूप मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। अतः C.P.C. के प्रावधानों के तहत Parallel Proceeding नहीं चल सकती।

अंत में उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी के अंतिम संतान के जन्मतिथि के संबंध में पूर्णतया विवाद है।, जिसका निर्धारण किये बिना इस वाद का निर्णय नहीं लिया जा सकता। अतः रजनी कुमारी वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा पारित न्याय–निर्णय के आलोक में आयोग ऐसे मामलों के सुनवाई हेतु सक्षम प्राधिकार नहीं है। अंत में उनके द्वारा आयोग से पुनः समय की याचना की गई और यह दावा किया गया कि पर्याप्त समय मिलने पर ही वह और अधिक विवाद के मूल बिन्दु पर प्रकाश डाल सकते है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी के उक्त तर्कों का जोड़दार खण्डन किया गया। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनका वाद बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007

(यथासंशोधित) की धारा–18 के तहत प्रतिवादी के निरर्हता हेतु है, जो कि आयोग के पूर्वादेश से आच्छादित है। इसके लिए चुनाव याचिका की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा चुनाव प्रक्रिया को प्रश्नगत् नहीं किया गया है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि रजनी कुमारी वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा पारित न्याय–निर्णय में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा धारा–18 एवं धारा–475 से आच्छादित मामलों में आयोग के सुनवाई के अधिकारिता को पूर्व में ही मान्यता प्रदान की जा चुकी है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि यह मामला किसी प्रकार से पूर्व के मामले के समरूप नहीं है तथा प्रतिवादी के Maintainbility Petition पर विस्तृत सुनवाई करते हुए, आयोग द्वारा Judicial Discipline, Res-Judicata एवं Unimpeachable Material पर आदेश पारित किया जा चुका है। अतः प्रतिवादी के द्वारा उन्हीं तर्कों का दुहराया जा रहा है, जिसे आयोग द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है।

5. **आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा संदर्भित न्याय–निर्णयों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत है:–**

"आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद/विवाद का मूल कारण वादी का यह दावा है कि श्री सरयुग मोची (वर्तमान मुख्य पार्षद, नगर पंचायत, नौबतपुर, पटना) द्वारा दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतानों के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत चुनाव पूर्व अयोग्यता होने के बावजूद गलत शपथ–पत्र एवं सूचना के आधार पर मुख्य पार्षद, नगर पंचायत, नौबतपुर, पटना के पद पर निर्वाचित हो गए।

आयोग द्वारा यह पाया गया कि वादी का दावा आयोग में पूर्व संस्थित वाद संख्या–12/2020, (उषा कौशिक बनाम् सरयुग मोची, विजय पासवान एवं पूनम देवी) वाद में आयोग के आदेश ज्ञापांक–894, दिनांक–03.03.2022 के आधार पर किया जा रहा है।

आयोग द्वारा पाया गया कि विगत् वाद संख्या–12/2020 में आयोग द्वारा नैसर्गिक–न्याय के नियम का अनुपालन करते हुये, सभी पक्षकारों को अवसर प्रदान करने के उपरांत तथा विस्तृत सुनवाई कर माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा निर्धारित परिधी तथा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007(यथा संशोधित) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन तत्समय आदेश पारित किया गया था।

आयोग वादी के इस तर्क से सहमत है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा C.W.J.C. No. 4175/2022, सरयुग मोची बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्याय–निर्णय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली (S.L.P.No. 10563-10565/2022) द्वारा Absolute Stay प्रदान करने के उपरांत आयोग द्वारा वाद

संख्या–12/2020 में पारित आदेश प्रभावी हो गया है। आयोग वादी के इस तर्क से भी सहमत है कि माननीय उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा प्रतिवादी को प्रदत्त अंतरिम राहत नगर पंचायत, नौबतपुर, पटना के बोर्ड के विगत् कार्यकाल तक सीमित था, क्योंकि जिस दिन उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, उस दिन से वह निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं रहे एवं कार्य समाप्ति के साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अंतरिम राहत समाप्त हो गया, जिसके उपरांत Fresh Election होने के कारण यह बिल्कुल ही Fresh मामला है।

आयोग के समक्ष यह विधिक प्रश्न उत्पन्न हुआ है कि विचाराधीन वाद पर सुनवाई करने से या इस पर आदेश पारित करने से माननीय उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश के अवमानना तो नहीं हो रही है तथा माननीय उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित (S.L.P.No. 10563-10565/2022) में दिनांक–01.09.2022 को पारित आदेश का वैधानिक प्रभाव क्या है ?

उक्त के संबंध में आयोग द्वारा माननीय उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली में राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना की ओर से आयोग का पक्ष रखने हेतु अधिकृत विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष कुमार से विधिक मंतव्य प्राप्त किया गया। प्राप्त विधिक मंतव्य निम्नवत् हैः–

"A. The Order of the State Election Commission dated 02.03.2022 continues to be alive and have legal force in light of the orders passed by the Hon'ble Supreme Court dated 13.07.2022 and 01.09.2022 in SLP (C) No. 10862-10864 of 2022 and connected petitions.

B. A Fresh proceeding against Mr. Saryug Mochi under section 18 of the Bihar Municipal Act, 2007 pursuant to his fresh re-electin and a fresh applicatin by a different person can be decided by the Commission in accodance with law and as stated above. The interim order in favour of Mr. Saryug Mochi was only for the previous terms. Therefore, a fresh proceeding would not be a contempt of Hon'ble Supreme Court order."

वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को उक्त विधिक मंतव्य में परिपुष्ट किया गया है।

उक्त वर्णित स्थिति में स्पष्ट है कि वाद संख्या–12/2020 में पारित आयोग के आदेशानुसार प्रतिवादी श्री सरयुग मोची आदेश ज्ञापांक–894, दिनांक–03.03.2022 के निर्गत तिथि से बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत निरर्हित है। माननीय उच्चत्म न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त अंतरिम राहत विगत् बोर्ड के अवसान के साथ ही, समाप्त हो गया है।

प्रतिवादी का यह लांछन उचित नहीं है कि आयोग द्वारा इस वाद को जान–बुझकर व्यक्तिगत राग–द्वेष से शीघ्र समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। वास्तव में आयोग के समक्ष आने वाले वाद एवं उनमें उपलब्ध साक्ष्यों की प्रकृति के आधार पर वादों का निष्पादन करने का प्रयास किया जाता है। आयोग में पूर्व में भी कई ऐसे वाद संस्थित हुए हैं, जो कि न्यायालय के न्यायादेश पर आधारित हो अथवा जिनमें निर्विवाद साक्ष्य प्राप्त हुए हो, आयोग ऐसे

वादों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का प्रयास करता है, क्योंकि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007(यथासंशोधित) की धारा–18(2) में अंकित है कि आयोग निरर्हता से संबंधित मामलों में प्रभावित पक्ष को पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुये, मामले का त्वरित निष्पादन करेगा। इस वाद में भी प्रतिवादी द्वारा स्वास्थ्य या अन्य कारणों से समय का अनुरोध किया गया, तो आयोग द्वारा उसे स्वीकृत किया गया, साथ ही साथ Maintainability पर प्रतिवादी के अनुरोध पर विस्तृत सुनवाई कर आदेश पारित किया गया। चूँकि इस वाद में किसी नए साक्ष्य का सत्यापन या परीक्षण नहीं करना है, वरन यह वाद आयोग के पूर्वादेश पर आधारित है, इस कारण आयोग अन्य वादों की तुलना में इसका त्वरित निष्पादन करने की स्थिति में है। अतः प्रतिवादी का यह लांछन स्वीकार योग्य नहीं है कि आयोग द्वारा इस वाद के निष्पादन में अनपेक्षित तीव्रता प्रदर्शित की जा रही है।

प्रतिवादी के सभी तर्कों का खण्डन वादी द्वारा अधिक तारतम्यता एवं तार्किक रूप से किया गया है। अतः आयोग द्वारा वादी के तर्कों को वरीयता के आधार पर स्वीकार किया जाता है।

(क) उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि श्री सरयुग मोची को दिनांक–04.04.2008 के उपरांत दो से अधिक जीवित संतान रहने के कारण आयोग के आदेश ज्ञापांक–894, दिनांक–03.03.2022 से तत्काल प्रभाव से बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत निरर्हित किया गया था, जिसके विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली से उन्हें विगत् बोर्ड की कार्यावधि तक ही अंतरिम राहत प्राप्त थी, परन्तु कार्यकाल की समाप्ति के साथ ही अंतरिम राहत की समाप्ति के कारण चुनाव पूर्व अयोग्यता का धारण संवीक्षा की तिथि को करते थे, इसके बावजूद उनके द्वारा तथ्यों को छुपाकर गलत शपथ–पत्र के आधार पर मुख्य पार्षद, नगर पंचायत, नौबतपुर, पटना के पद पर निर्वाचित होने में कामयाब रहें।

इस प्रकार बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) के तहत पूर्व से निरर्हित रहने के कारण प्रतिवादी श्री सरयुग मोची को बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(m) सहपठित धारा–18(2) तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन तत्काल प्रभाव से मुख्य पार्षद, नगर पंचायत, नौबतपुर, पटना के पद से पदमुक्त किया जाता है। इस आदेश के साथ ही मुख्य पार्षद, नगर पंचायत, नौबतपुर, पटना का पद रिक्त समझा जाएगा तथा नियमानुसार इस पर निर्वाचन की कार्रवाई सम्पन्न की जाएगी।

(ख) आयोग का उक्त आदेश माननीय उच्चत्म न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन S.L.P.No. 10563-10565/2022 तथा SLP (C) No. 10862-10864 of 2022 में पारित आदेश/न्यायादेश के फलाफल से प्रभावित होगा।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।
सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
17.10.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
17.10.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–26/2025 / 4072 पटना, दिनांक– 17/10/2025

प्रतिलिपि– सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/X/25
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–26/2025 / ~~4042~~ 4072 पटना, दिनांक– 17/10/2025

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **पटना**/श्रीमती पूजा कुमारी, वरीय उप समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा, **पटना** सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। श्रीमती पूजा कुमारी, वरीय उप समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा, **पटना** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

17/X/25
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–26/2025 / 4072 पटना, दिनांक– 17/10/2025

प्रतिलिपि–वादी अशोक कुमार, पिता–राम नरेश यादव, ग्राम मोहनी पोखर, पोस्ट–अमरपुरा, थाना–नौबतपुर, जिला–**पटना** एवं श्री सरयुग मोची, पिता स्व0 गनौरी मोची, ग्राम–आरोपुर, पोस्ट–अमरपुरा, थाना–नौबतपुर, (पदमुक्त मुख्य पार्षद, नगर पंचायत नौबतपुर), जिला–**पटना** को सूचनार्थ प्रेषित।

17/X/25
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–26/2025 4072 पटना, दिनांक– 17/10/2025

प्रतिलिपि–श्री नीतीश कुमार, आई0टी0 मैनेजर/श्री संजीव कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, (निर्वाचन शाखा), राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/X/25
विशेष कार्य पदाधिकारी